

म्याँमार में गृहयुद्ध

प्रलिम्स के लिये:

म्याँमार में गृहयुद्ध, 1946 का वदिशी अधनियिम, शरणार्थी

मेन्स के लिये:

म्याँमार में गृहयुद्ध, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका परबंधन

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में म्याँमार में चल रहे गृहयुद्ध के कारण **म्याँमार की सेना और मज़ोरम** से लगे पश्चिमी चनि राज्य में **लोकतंत्र समर्थक मलिशिया** के बीच तीव्र गोलीबारी के बाद म्याँमार के 1,500 नागरिकों ने मज़ोरम के चम्फाई ज़िले में शरण ली।





गृहयुद्ध क्या है?

- गृहयुद्ध एक ही देश या राष्ट्र के भीतर संगठित समूहों के बीच लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष है।
- इसमें अलग-अलग सामाजिक, राजनीतिक या वैचारिक मत वाले गुटों या समूहों के बीच सशस्त्र टकराव शामिल है, जो देश के शासन, क्षेत्र या संसाधनों पर नियंत्रण या प्रभुत्व के लिये प्रतस्पर्धा कर रहे हैं।

म्यांमार में वर्तमान गृहयुद्ध की पृष्ठभूमि क्या है?

- **2020 का चुनाव और सैन्य तख्तापलट:**
 - नवंबर 2020 के चुनाव में आंग सान सू की (Aung San Suu Kyi's) की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) ने चुनाव जीता। हालाँकि सैन्य जुंटा (Military Junta), जिसे टाटमाडॉ (Tatmadaw) के नाम से जाना जाता है, ने बर्ना पर्याप्त सबूत के चुनावी धोखाधड़ी का दावा करते हुए चुनाव परिणामों को खारिज कर दिया।
 - फरवरी 2021 में सेना ने तख्तापलट किया, आंग सान सू की और अन्य निर्वाचित नेताओं को हरिसत में ले लिया, आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई तथा सरकार का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया।
- **वरोध तथा प्रतस्पर्धा:**
 - तख्तापलट के बाद पूरे म्यांमार में व्यापक वरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, नागरिकों ने लोकतंत्र की बहाली तथा हरिसत में लिये गए नेताओं की रद्दी की मांग की।
 - सविलि सेवक, कार्यकर्ता तथा वभिन्न समूह हड़ताल एवं प्रदर्शन करते हुए सवनीय अवज्जा आंदोलन में शामिल हुए।

- **प्रतिरोध हेतु बलों का गठन:**
 - टाटमाडॉ (Tatmadaw) द्वारा असहमति पर अपनी कार्रवाई तेज़ करते ही **एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइज़ेशन (EAO)** तथा सशस्त्र नागरिकों सहित विपक्षी समूहों ने सैन्य जुंटा का वरिध करने के लिये **पीपुल्स डेफेंस फोर्स (PDF)** का गठन किया।
 - इन समूहों ने सेना के अधिकार को चुनौती देने के उद्देश्य से अपदस्थ सांसदों द्वारा स्थापित **नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट (NUG)** का समर्थन किया।
- **वर्तमान परिदृश्य:**
 - देश के अन्य हिस्सों, जैसे- राखीन राज्य, कायानि राज्य, मणपुरि की सीमा से लगे सांगांग
 - क्षेत्र तथा मज़ोरम की सीमा से लगे चनि राज्य में भी विभिन्न स्थानीय प्रतिरोध बलों के नेतृत्व में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है।

म्यांमार में चल रहे गृहयुद्ध का भारत के लिये क्या अर्थ है?

- **संतुलति रुख:**
 - भारत ने म्यांमार में लोकतंत्र के "व्यवधान" पर चिंता व्यक्त करने तथा उसके "महत्त्वपूर्ण हितों" की रक्षा के लिये जुंटा का सहयोग करने के बीच अब तक संतुलन स्थापित कर रखा है।
- **भारत के लिये तात्कालिक चिंता:**
 - पूर्वोत्तर भारत के सीमावर्ती राज्यों में म्यांमार के नागरिकों का प्रवेश।
 - वह भी ऐसे समय में जब मणपुरि में स्थिति अस्थिर बनी हुई है।
- **वदिरोहियों द्वारा दो प्रमुख नगरों पर कब्ज़ा:**
 - जुंटा वरिधी ताकतों ने म्यांमार और भारत के बीच केवल दो सीमा पार बड्डिओं के करीब दो महत्त्वपूर्ण शहरों पर कब्ज़ा कर लिया है। ये हैं:
 - रखावदार, मज़ोरम में जोखावथर के करीब और
 - मणपुरि में मोरेह से लगभग 60 किलोमीटर दूर सांगांग क्षेत्र में खम्पट।
 - उत्तरार्ध (सांगांग क्षेत्र में खम्पट) में भी प्रस्तावित भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना का हिस्सा है।

शरणार्थियों से नपिटने के लिये भारत में वर्तमान वधिायी ढाँचा क्या है?

- भारत सभी वदिशियों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, चाहे वे **अवैध अप्रवासी हों, शरणार्थी** या वीज़ा परमिट से अधिक समय तक रहने वाले हों।
 - **1946 का वदिशी अधिनियम:** धारा 3 के तहत केंद्र सरकार को अवैध वदिशी नागरिकों का पता लगाने, हरिसत में लेने और नरिवासति करने का अधिकार है।
 - **पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920:** धारा 5 के तहत अधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 258(1) के तहत किसी अवैध वदिशी को बलपूर्वक हटा सकते हैं।
 - **वदिशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939:** इसके तहत एक अनविार्य आवश्यकता है जिसके तहत दीर्घकालिक वीज़ा (180 दिनों से अधिक) पर भारत आने वाले सभी वदिशी नागरिकों (भारत के वदिशी नागरिकों को छोड़कर) को भारत पहुँचने के 14 दिनों के भीतर खुद को जीकरण अधिकारी के साथ पंजीकृत करना आवश्यक है।
 - **नागरिकता अधिनियम, 1955:** इसमें नागरिकता के त्याग, समाप्त और वंचित करने के प्रावधान प्रदान किये गए।
 - इसके अलावा **नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA)** बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सताए गए हिंदू, ईसाई, जैन, पारसी, सिख तथा बौद्ध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना चाहता है।
- **भारत ने शरणार्थी होने का दावा करने वाले वदिशी नागरिकों से नपिटने के लिये सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा पालन की जाने वाली एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है।**

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नमिनलखिति युगों पर वचिर कीजयि: (2016)

	समाचारों में कभी-कभी उल्लखिति समुदाय	कसिके मामलों में
1.	कुरद	बांग्लादेश
2.	मधेसी	नेपाल
3.	रोहगिया	म्यांमार

उपर्युक्त युगों में से कौन-सा/से सही सुमेलति है/हैं?

- केवल 1 और 2
- केवल 2
- केवल 2 और 3
- केवल 3

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. भारत की सुरक्षा को गैर-कानूनी सीमा पार प्रवसन कसि प्रकार एक खतरा प्रस्तुत करता है? इसे बढ़ावा देने के कारणों को उजागर करते हुए ऐसे प्रवसन को रोकने की रणनीतियों का वर्णन कीजिये। (2014)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/civil-war-in-myanmar>

